Date : 3 अप्रैल 2023

नाटो, रूस और बेलारूस

संदर्भ- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस, बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करेगा। यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन और पश्चिम गतिरोध को बढ़ाने के कारण रूस ने नाटो को चेतावनी दी है।

नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन

NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कई देशों का एक संगठन है जिसके द्वारा उनके राजनीतिक व सैन्य माध्यमों से सदस्य देशों की रक्षा करता है।

- राजनीतिक- नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह सदस्यों की समस्याओं को हल करने, लम्बे समय से चल रहे विवादों को समाप्त करने, रक्षा व सुरक्षा संबंधी मामलों पर परामर्श करने पर जोर देता है।
- सैन्य – नाटो, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो उसके पास संकट प्रबंधन संचालन करने के लिए सैन्य शक्ति होती है। ये नाटो की संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा खण्ड (वाशिंगटन संधि का अनुच्छेद 5) या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत, अकेले या अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय संघों के सहयोग से किए जा सकते हैं।

नाटो का गठन-

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत यूरोप के देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण व अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
- आर्थिक सुविधा के लिए उद्योगों व कृषि को फिर से स्थापित करने के लिए बड़ी सहायता की आवश्यकता थी।
- सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी व सोवियत संघ से सुरक्षा के आश्वासन की आवश्यकता थी।
- यूरोप के आर्थिक एकीकरण या आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मार्शल योजना प्रारंभ की गई।
- मार्शल योजना के तहत सोवियत संघ ने यूरोप में निहित अपने प्रदेशों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से इंकार किया। जिससे पूर्वी व पश्चिमी यूरोप के विभाजन को समर्थन मिला।
- उस समय यूरोप की परिस्थितियों जैसे तुर्की में तनाव, ग्रीस में गृहयुद्ध, जर्मनी की सीमाओं में साम्यवादी सरकार का गठन आदि के कारण ट्रूमैन प्रशासन ने एक यूरोपीय अमेरिकी गठबंधन बनाने की आवश्यकता पर विचार किया। जो पश्चिमी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
- ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर- बढ़ती चिंताओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए पश्चिमी यूरोप के देश एक सैन्य गठबंधन बनाने के लिए एकत्रित हुए। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस , बेल्जियम, नीदरलैंड व लक्जम्बर्ग ने मार्च 1948 में ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि सामूहिक रक्षा पर आधारित थी। यदि एक देश पर आक्रमण होगा तो सभी राष्ट्र उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
- अमेरिकी वार्ताकारों के अनुसार कनाडा, अइसलैण्ड, डेनमार्क, नडर्वे, आयरलैंड, पुरतगाल, आदि देशों को संधि में शामिल करने से संधि का विस्तार किय जा सकता है।
- इस प्रकार उत्तरी अटलांटिक देशों ने NATO गठबंधन कर सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों की उपस्थिति में 1949 में उत्तरी संगठन बनाया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स(बेल्जियम) में बनाया गया। वर्तमान अवधि तक इसके 30 सदस्य राष्ट्र हैं।

NATO के मूल तथ्य

- **सामूहिक रक्षा का सिद्धांत-** वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार यह अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा बहाल करने व शांति बनाए रखने पर आधारित है। जिसके तहत किसी एक सदस्य देश या देशों पर हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। अनुच्छेद 5 को संयुक्त राज्य में 9/11 हमले के बाद लागू किया गया था।
- **नाटो निर्णय –** सर्वसम्मति से निर्णय लेने का मतलब है कि नाटो में कोई मतदान नहीं है। परामर्श तब तक होता है जब तक कि सभी को स्वीकार्य निर्णय नहीं हो जाता। कभी-कभी सदस्य देश किसी मुद्दे पर असहमत होने के लिए सहमत होते हैं। सामान्य तौर पर, यह वार्ता प्रक्रिया तेजी से होती है क्योंकि सदस्य नियमित रूप से एक-दूसरे से परामर्श करते हैं और इसलिए अक्सर एक-दूसरे की स्थिति को पहले से जानते और समझते हैं।
- नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का गठबंधन है। यह इन दो महाद्वीपों के बीच एक अनूठी कड़ी प्रदान करता है, जिससे वे रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में **परामर्श** और सहयोग कर सकते हैं, और एक साथ **बहुराष्ट्रीय** संकट-प्रबंधन संचालन कर सकते हैं।
- एलायंस में रणनीतिक अवधारणाएं, मौजूदा सुरक्षा खतरों और चुनौतियों का जवाब देने और इसके राजनीतिक और सैन्य विकास का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार करती हैं ताकि यह कल के खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए समान रूप से तैयार हो।

NATO में पूर्वी देशों के शामिल होने से रूस की चिंताएं-

- पूर्वी देशों के **NATO** में शामिल होने पर उ देश को अमेरिका समेत NATO के किसी भी सदस्य देश की सेना के प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिससे रूस का अपने पश्चिमी पड़ोसी देशों पर प्राभाव कम हो सकता है।
- NATO में पूर्वी देशों के शामिल होने पर पूर्व की ओर NATO की सैन्य छावनियाँ व बुनियादी ढांचे भी स्थापित होंगे, जिसका रूस विरोध कर रहा है।
- इन्हीं सब विरोध का परिणाम रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में सामने आया। युद्ध की परिस्थितियों में 31वे व 32वे देश के रूप में फिनलैंड व स्वीडन को NATO में शामिल किया गया है। जिसका रूस ने प्रबल विरोध किया है।

रूस व बेलारूस के द्विपक्षीय संबंध-

बेलारूस व रूस के मध्य रणनीतिक सांझेदारी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व व्यावसायिक सहयोग पर आधारित हैं।

1999 में बेलारूस व रूस के मध्य संघ राज्य की स्थापना पर समझौता दोनों देशों के बीच एकीकरण के लिए एक आधार स्थापित करता है। समझौते के अनुसार दोनों देश परस्पर कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया है-

- शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक विकास सुनिशअचित करना
- एकल आर्थिक व सीमा शुल्क क्षेत्र का निर्धारण के साथ उचित कानूनी ढांचा स्थापना।
- सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
- सामाजिक, रक्षा व विदेशी नीतियों पर दोनों देशों की सहमति सुनिश्चित करना।
- आपराधिक गतिविधि से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

2022 के अंत में दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रूस के विदेशी व्यापार का आधे से अधिक व्यापार बेलारूस गणराज्य से संबंधित है।

Yojna IAS
योजना के साथ सफलता है
yojnaias.com

बेलारूस और रूस के बीच सीमा पार करने पर दोनों देशों के नागरिकों को किसी पासपोर्ट और सीमा शुल्क नियंत्रण से गुजरने या माइग्रेशन कार्ड प्राप्त करने और भरने की आवश्यकता नहीं है।
अब रूस, बेला रूस में परमाणु हथियारों को तैनात करने जारहा है जो NATO में फिनलैंड व स्वीडन की सदस्यता के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। जिसे NATO के परमाणु हथियारों से अपनी रक्षा के रूप में स्थापित कर रहा है।

स्रोत
इण्डियन एक्सप्रेस
https://mfa.gov.by/en/bilateral/russia/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm

Gunjan Joshi

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर

संदर्भ- हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। भारत में 1 करोड़ से अधिक लोगों में ऑटिज्म डिसॉर्डर पाया गया है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्म डिसॉर्डर-

- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर एक विकासात्मक विकलांगता से संबंधित रोग है। जो मस्तिष्क में कुछ अंतर होने के कारण होता है।
- लगभग 100 में से 1 बच्चे में यह समस्या पाई जाती है।
- बचपन में ही समस्या का पता चलने के बाद भी इसके निदान में बहुत लम्बा समय लग जाता है।
- ऑटिस्टिक लोगों की क्षमताएं और जरूरतें अलग-अलग होती हैं और समय के साथ विकसित हो सकती हैं। जबकि ऑटिज्म से पीड़ित कुछ लोग स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, दूसरों में गंभीर विकलांगता होती है और उन्हें जीवन भर देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है।
- साक्ष्य-आधारित मनोसामाजिक हस्तक्षेप ऑटिस्टिक लोगों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव के साथ संचार और सामाजिक कौशल में सुधार कर सकते हैं।
- ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए अधिक पहुँच, समावेशिता के लिए सामाजिक स्तर पर कार्यवाही की आवश्यकता है।
- ऑटिज्म स्पेक्ट्म डिसॉर्डर के कारण पर्यावरण व आनुवांशिकता को माना जाता है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्म डिसॉर्डर के लक्षण-

(1) सामाजिक संचार और व्यवहार में समस्या-

- इसके तहत 9 महीने की उम्रक खुश, उदास या किसी चेहरे के भावों को व्यक्त नहीं करता।
- 24 महीने की उम्र तक किसी के भी चोट को महसूस नहीं करते और प्रतिक्रिया नहीं देते।

(2) प्रतिबंधित या दोहराए जाने वाले व्यवहार की समस्या-

- वस्तुओं को पंक्तिबद्ध करना, और उस क्रम में परिवर्तन होने पर चिंतित हो जाना।
- स्वाद, गंध, ध्वनि, देखने या महसूस करने के तरीके पर असामान्य प्रतिक्रिया होती है।
- बार बार शब्दों या वाक्यांशों को दोहराते हैं।

(3) अन्य विशेषताएं- उपरोक्त लक्षणों के साथ यह लक्षण भी हो सकते हैं-

- विलंबित भाषा कौशल
- विलंबित संज्ञानात्मक कौशल
- मिर्गी जैसे विकार।
- खाने व सोने की असामान्य आदतें।
- असामान्य मनोदशा व असामान्य प्रतिक्रियाएं
- भय का अभाव या अपेक्षाकृत अधिक भय।

निदान

WHO और Center for disease control and Prevention के अनुसार इस समस्या के मूल्यांकन, देखभाल व निदान निम्न प्रकार हो सकता है –

- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) का निदान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि विकार का निदान करने के लिए रक्त परीक्षण जैसे कोई चिकित्सा परीक्षण नहीं है। निदान करने के लिए डॉक्टर बच्चे के विकासात्मक इतिहास और व्यवहार को देखते हैं।
- सर्वप्रथम बच्चे के व्यवहार की निगरानी व उसके बाद प्रश्नावली व साक्षात्कार के माध्यम से ऑटिज्म की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। इसका उपचार भी इसी कड़ी(मूल्यांकन, हस्तक्षेप व जागरुकता) को बनाकर किया जा सकता है।
- शुरुआती साक्ष्य-आधारित मनोसामाजिक सहायता तक समय पर पहुंच ऑटिस्टिक बच्चों की प्रभावी ढंग से संवाद करने और सामाजिक रूप से बातचीत करने की क्षमता में सुधार कर सकती है। नियमित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में बाल विकास की निगरानी की सिफारिश की जाती है।
- ऑटिज़्म और अन्य विकासात्मक अक्षमताओं वाले लोगों के साथ रहने वाले लोगों की भागीदारी आवश्यकता है। अधिक पहुंच, समावेशिता और समर्थन के साथ सामुदायिक और सामाजिक स्तरों पर कार्रवाई के साथ देखभाल की आवश्यकता है।
- द हिंदू के अनुसार किसी भी अस्पताल के पास इस समस्या से ठीक हुए लोगों का डेटा नहीं है
- भारत में वे साधारण स्कूलों में कई समस्याओं के साथ पढ़ रहे हैं, जिनका कोई मूल्यांकन व जांच व निदान नहीं किया जाता।

वैश्विक स्तर पर ऑटिज्म

- वैश्विक स्तर पर ऑटिज्म की पहचान सर्वाधिक यूनाइटेड स्टेट व यूनाइटेड किंगडम में की गई है।
- इन देशों में ऑटिज्म युक्त बच्चों में बौद्धिक क्षमता का स्तर औसत या उच्च होता है। जबकि भारत में ऐसे बच्चों की बौद्धिक क्षमता औसत या औसत से बहुत कम पाई गई है।
- अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम में उपयुक्त नैदानिक विशेषज्ञता तक पहुंच, मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल करने के प्रावधानों की अनुमति, साथ ही ऑटिज़्म हस्तक्षेपों के लिए चिकित्सा बीमा कवरेज की उपलब्धता है जिससे उनको सामान्य स्थिति में लाना व ऑटिज्म युक्त बच्चे की विशेषज्ञता का क्षेत्र ज्ञात कर उसे उस दिशा में प्रेरित करना।

भारत की ऑटिज्म चुनौतियाँ

मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर- द हिंदू के अनुसार भारत में 10000 से भई कम मनोचिकित्सक हैं, जिनमें से अधिकांश बड़े शहरों में निवास करते हैं। अतः इन तक पहुंच बढ़ाना अत्यंत कठिन है।

समस्या को अनदेखा करना- भारत में सामाजिक रूप से अक्सर ऐसी समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। समय पर समस्या को अनदेखा करने पर निदान व उपचार कठिन हो जाता है। और ऑटिज्म जैसी न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं।

आगे की राह

- ऑटिज्म रोग के प्रति जागरुकता
- मनोवैज्ञानिकों तक पहुँच प्रदान करना।
- समय समय पर बच्चों का परीक्षण।
- शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, सेवा प्रदाताओं को अंत-उपयोगकर्ताओं के साथ अखिल भारतीय कार्यक्रम की आवश्यकता। ऑटिज़्म और न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, एक स्पष्ट समयबद्ध रणनीति द्वारा समर्थित, देश भर में नवीन बहु-विषयक अनुसंधान और सहायता सेवाओं के एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से ऑटिस्टिक लोगों के जीवन में सुधार के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

स्रोत

द हिंदू

www.who.int

www.cdc.gov

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com